

23.04.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जे०एन०मथुरिया(आर०ए०एस०)

आर.सी.एम.एस 2005 / 00149

अपील संख्या 34 / 2005 (प्रा०पत्र)

उनवान:- हरीशचंद बनाम धनीराम

वकील अपीलांट को बार-बार आवाज दिलाई गई। कोई उप० नहीं। अतः पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है।

पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।